

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओपीओबिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 55/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1. श्रीमती पप्पूदेवी पत्नि पूनाराम विश्नोई, निवासी- थाटानगर, सारणों की ढाणी, तहसील लोहावट, जोधपुर।		1- तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर
2. प्रहलादाराम पुत्र छोटूराम		2- सरपंच ग्राम पंचायत, भजन नगर, तहसील लोहावट, जोधपुर
3. गोपीलाल पुत्र प्रहलादाराम विश्नोई निवासी- समराथल नगर, ग्राम पंचायत भजननगर, तहसील लोहावट, जोधपुर।		3- पटवारी, जम्भेश्वर नगर, तहसील लोहावट
		4- भागीस्थराम पुत्र फुसाराम
		5- फगलूराम पुत्र मंगलाराम
		6- सुखराम पुत्र जगमालराम जातियान विश्नोई निवासी समराथल नगर, तहसील लोहावट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा आदेश क्रमांक प्र.ग.स. 2021/41 दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत भजन नगर में पारित किया गया

उपस्थिति:-

- 1- श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड 1, 3 की ओर से ।
- 3- श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 2,4,5,6 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12-08-2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पोंड संख्या 1 तहसीलदार लोहावट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सांवा मे चालु सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये परंतु जिनका राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन नही है। उक्त आवागमन के रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.21 के द्वारा रेस्पोंड संख्या 1 तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मौजा समराथनगर मे स्थित विभिन्न खसरा नंबरान में से चल रहे रास्ते की भूमि रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 02.10.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम समराथलनगर, तहसील लोहावट के ख0सं0 1726/2 रकबा 0.2299 हैक्टर जो अपीलार्थी की भूमि है, में से 0.0485 हैक्टर भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है।



वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम समराथलनगर, तहसील लोहावट के ख0सं0 1726/2 रकबा 0.

किया गया है। इसी प्रकार प्रहलादराम व गोपीराम की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि के ख0सं0 1725/2 रकबा 11.0803 हैक्टर में से 0.0971 है0 भूमि में से भी रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है। उक्त वर्णित भूमि में से मौके पर कोई कदीमी रास्ता नहीं है और ना ही रास्ते के उपयोग में आ रही है तथा अपीलान्टस राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। किसी खातेदारी की भूमि में से विधि विरुद्ध कोई नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कई सहखातेदार है जिनकी भूमि से रास्ता घोषित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित कई खसरान भूमि के खातेदार फौत भी हो चुके है। उनके कायम मुकाम को पत्रावली पर नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे सहमति पत्र में देणोक रोड से सडक जोडने का गलत उल्लेख किया है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार कार्यालय द्वारा फर्जी तरीकों से फर्जी दस्तावेज तैयार किये एवं सरपंच द्वारा अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिये मिलीभगती कर अंगुठा निशाल ले लिये। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व किसी खातेदार /सहखातेदार की सहमति नहीं ली गई। तहसीलदार के द्वारा भी मौके पर आकर कोई जाँच नहीं की गई है। उक्त भूमि का भूमि विभाजन/बंटवाडा भी नहीं किया हुआ है न ही रेकॉर्ड में तरमीम है। न ही आदेश में किसका हिस्सा कहां आयेगा और कौनसी दिशा में आयेगा, बाई मिटस एवं बाउण्ड के तहत बंटवाडा भी नहीं हुआ। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलान्टस की ओर से यह अपील पेश की गई है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.10.2021 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार लोहावट ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो खातेदारी खेतों की भूमि में से मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग में आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है, ऐसे रास्तों को चिन्हित कर, राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शे में दर्ज करवाने बाबत जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.2021 को पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 संख्या 2, 4, 5, 6 ने प्रत्युत्तर में यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल एवं उचित है। जो बहाल रखे जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी लोहावट के आदेश दिनांक 02.10.2021 की पालना जमाबन्दी व नक्शे में हो चुकी है। पालना होने के उपरान्त खसरान



भूमि में से रास्ता निकाले जाने हेतु अपनी सहमति दी थी। इसलिये प्रहलादराम अपीलान्त यह अपील कर ही नहीं सकता है। केवल मात्र पम्पूदेवी व उसका लडका ही अपील कर सकता है। सहमति के आदेश की अपील आदेश 23 सीपीसी के तहत पोषनीय नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा अपनी अपील में केवल तहसीलदार, ग्राम पंचायत व भू0अ0निरीक्षक को पक्षकारा बनाया है बल्कि प्रभावित व पीडित पक्षकार जमाबन्दी में दर्ज सभी सह खातेदार जो रास्ते से प्रभावित है जिसमें प्रार्थी भी पक्षकार है।

वकील रेस्प0 संख्या 2, 4, 5, 6 ने यह भी कथन किया कि सहमति के आधार पर पारित किये गये आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, न ही प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं है। इस आधार पर भी अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है। अपने कथनों की पुष्टि के लिये निर्णय नजीर प्रस्तुत की यथा 2006 (2) डीएनजे राज पेज 803, आरआरटी 2017 पेज 221, आरआरटी 2007 पेज 1150 इत्यादि

वकील रेस्प0 संख्या 2, 4, 5, 6 ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार लोहावट ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो खातेदारी खेतों की भूमि में से मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग में आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है, ऐसे रास्तों को चिन्हित कर, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे में दर्ज करवाने बाबत दिये गये निर्देशों के तहत ही तहसीलदार लोहावट की ओर से पेश प्रकरण में नियमानुसार अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अपीलाधीन आदेश से अन्य किसी पक्षकार की आपत्ति पत्रावली पर नहीं आई है। अतः अपीलान्तस की अपील खारिज की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा तहसीलदार लोहावट के प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 02.10.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कि व्यापक जनहित में किया जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थी का प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.2021 में



भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार मौका जाँच कर, हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें तथा अगर आवश्यक हो तो तदनुसार संशोधित निर्णय पारित करें। किसी भी पक्ष द्वारा कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावे। निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सहायक आयुक्त,
जोधपुर